राबैं.डॉर.प्रका./ 98064 / डॉर-एसटी-नीति-एसओएफ़/ 2025-26

परिपत्र सं. 226 / डॉर- 46 / 2025-26
दिनांक 07.10.2025

मुख्य सचिव
सभी राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र

महोदया/ महोदय,

वित्त मान (एसओएफ़) के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश

कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 15 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र सं. 109/ पुनर्वित्त-34/ 2020 का संदर्भ लें.

2. पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नीतियों में हुए संशोधनों और कृषि पारिस्थितिकी में हुए समग्र परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र को अद्यतित किया जाए.

3. वित्त मान के निर्धारण हेतु परिचालन दिशानिर्देश, जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण सीमा की निर्धारण का आधार बनते हैं, वे अनुबंध में दिए गए हैं. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org के सूचना केन्द्र टैब पर भी उपलब्ध है.

4. जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत सरकार एग्रीस्टैक का भी निर्माण कर रही है जिसमें कृषि से संबंधित संपूर्ण डेटा का सृजन किया जा रहा है, जो सभी हितधारकों को जानकार निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक डेटा तक सुगम पहुँच प्रदान करेगा. वित्त मान रजिस्ट्री एग्रीस्टैक का भाग है. नाबार्ड ने डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया को एन्श्योर (ENSURE) पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज्ड कर दिया है, जिससे वित्तमान रजिस्ट्री को अद्यतित किया जा सके. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) और जिला स्तरीय तकनीकी समितियों (डीएलटीसी) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक पोर्टल के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करेंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

5. आपसे अनुरोध है कि कृपया एसएलटीसी और डीएलटीसी को वित्त मान निर्धारित करने हेतु संशोधित दिशानिर्देशों का अनुसरण करने हेतु उपयुक्त रूप से सूचित करें.

भवदीय

(डॉ. के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

अनुबंध

वित्त मान (एसओएफ़) के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश

1. परिचय

1.1. पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि ऋण में उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तनों, तकनीकी प्रगति और डिजिटल सार्वजनिक ऋण वितरण इंटरफेस के माध्यम से बदलाव आए हैं. साथ ही भारत सरकार फसल ऋण, ऋण गारंटी, ऋणों की ऑनलाइन प्रक्रिया, एग्रीस्टैक आदि के अलावा पीएम किसान, पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए केसीसी जैसे कई सहयोगों के माध्यम से किसानों को सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान कर रही है.

1.2. लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं. इन छोटे और सीमांत किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना कृषि गतिविधियों की व्यवहार्यता और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है.

1.3. वर्ष 1998-99 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृषि ऋण की सुगम पहुँच को बढ़ाया है. वर्ष 2020 से यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक किसान के पास केसीसी हो ताकि केंद्र और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध ब्याज अनुदान और तत्काल चुकौती प्रोत्साहन के प्रावधान के कारण सभी किसानों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से किफ़ायती/ कम लागत पर सामयिक ऋण प्राप्त हो सके.

1.4. अल्पावधि कृषि ऋण की आधारशिला जिला स्तर पर प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित वित्त मान (एसओएफ़) है, जो प्रत्येक फसल और किसान के लिए पात्र ऋण निर्धारण का आधार बनता है. केसीसी की सीमा भी उगाई गई फसल, वित्त मान और खेती के क्षेत्रफल के आधार पर तय की जाती है.

2. वित्त मान निर्धारित करने हेतु प्रणाली

2.1. पिछले कई दशकों से वित्त मान तय करने की प्रणाली नीचे से ऊपर की दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें जिले का सहकारी बैंक अग्रणी भूमिका निभाता है.

2.2. कृषि ऋण की समीक्षा और वित्त मान निर्धारण में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर अप्रैल 2020 में वित्त मान संबंधी दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन किया गया था.

2.3. वर्तमान में 20 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एक राज्य-एक वित्तमान का पालन कर रहे हैं और दस राज्य जिला-वार वित्तमान का पालन कर रहे हैं.

2.4. जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) जिले के सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर वित्तमान को अंतिम रूप देती है और उसकी अनुशंसा करती है. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) जिला स्तर की परिस्थितियों, जिले/ कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विशेषताओं आदि के आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा करती है और उन्हें अनुमोदित करती है. इस प्रकार अनुमोदित एसओएफ़ को सभी हितधारकों के बीच अंगीकरण हेतु परिचालित किया जाता है.

2.5. एसओएफ़ तय करने की मौजूदा प्रणाली को विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के साथ अब तक की तरह जारी रखा जा सकता है ताकि विभिन्न डीएलटीसी द्वारा निर्धारित आस-पास के जिलों/ समान कृषि जलवायु क्षेत्रों के बीच सामान्य फसलों के एसओएफ़ में देखी गई असमानता के मुद्दे का समाधान किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप कम/ अत्यधिक वित्तपोषण होता है. विस्तृत प्रक्रिया निम्नलिखित अनुच्छेदों में दी गई है.

3. जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी)

3.1. संघटन

3.1.1. जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) का गठन किया जाएगा, जिसके संयोजक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) होंगे, और यह समिति जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ समन्वय में कार्य करेगी. जिन राज्यों में सहकारी बैंकों की दो स्तरीय संरचना प्रचलित है (डीसीसीबी अनुपस्थित है), कृषि विभाग डीएलटीसी के संयोजक के रूप में कार्य कर सकता है.

3.1.2. जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. उनकी अनुपस्थिति में जिले के कृषि विभाग के प्रमुख बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं.

3.1.3. अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम), कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यपालन विभागों के प्रतिनिधि, प्रमुख वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रमुख गैर सरकारी संगठन और जिले के कुछ प्रगतिशील किसान समिति के सदस्य होंगे.

3.1.4. केवीके/ कृषि विश्वविद्यालय/ पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/ मत्स्यपालन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय/ आईसीएआर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र/ आत्मा (ATMA) आदि के प्रतिनिधियों को समिति के नियमित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा और विशेषज्ञ तकनीकी इनपुट के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

3.2. प्रक्रिया

3.2.1. हितधारकों से प्राप्त या तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वित्तमान निर्धारित करने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों की समीक्षा क्षेत्रीय फसलों के लिए कृषि विभाग द्वारा, बागवानी फसलों के लिए बागवानी विभाग द्वारा और अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यशील पूँजी सीमा के प्रस्तावों के लिए पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग द्वारा समीक्षा की जाएगी और समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

3.2.2. प्रस्तावों की समीक्षा प्रचलित प्रथाओं के पैकेज, निविष्टियों की प्रचलित लागत, उत्पादकता और उपज के बाजार मूल्य तथा केवीके/ कृषि विश्वविद्यालय/ पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/ मत्स्यपालन महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ आईसीएआर अनुसंधान केंद्र, आत्मा (ATMA) आदि से प्राप्त तकनीकी निविष्टियों पर विचार करते हुए की जानी चाहिए.

3.2.3. पशुपालन और मत्स्यपालन के अंतर्गत फसल/ गतिविधि के लिए एसओएफ़ की गणना करने के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार विचारार्थ निविष्टियों का विवरण और मद-वार लागत दर्ज की जानी चाहिए.

3.3. वित्तमान का निर्धारण

3.3.1. सभी फसल आधारित गतिविधियों के लिए एसओएफ़ प्रति एकड़ के आधार पर तय किया जाएगा.

3.3.2. एसओएफ़ को ग्रीष्मकालीन फसलों सहित विभिन्न फसल मौसमों के लिए जिले में उगाई जाने वाली सभी महत्वपूर्ण फसलों के लिए विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों, फसल प्रथाओं आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जाएगा.

3.3.3. सिंचित और असिंचित फसलों, खेती की पारंपरिक और आधुनिक विधियों और खेती की विधियों में स्थानीय विविधताओं, यदि कोई हो, के लिए अलग-अलग पैमाने निर्धारित किए जाने चाहिए.

3.3.4. जिन जिलों में जैविक खेती/ प्राकृतिक खेती की जाती है, उसके लिए पृथक एसओएफ़ को भी अंतिम रूप दिया जाए.

3.3.5. पशुपालन गतिविधियों के मामले में प्रचलित पालन प्रथाओं और उत्पादन गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आवर्ती खर्चों पर उचित विचार करने के पश्चात् जिले में किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रति पशु/ पक्षी के आधार पर एसओएफ़ तय किया जाएगा.

3.3.6. इसी प्रकार मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए एसओएफ़ का निर्धारण निवेश की औसत इकाई आकार के आधार पर किया जाए.

3.4. वित्त मान तय करते समय सुझाए गए अतिरिक्त उपाय

3.4.1. डीएलटीसी को खेती की लागत को ध्यान में रखते हुए पैमाने तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक डेटाबेस और विस्तृत वर्कशीट तैयार और अनुरक्षित करना चाहिए.

3.4.2. वित्त मान अपनाई गई प्रथाओं के पैकेज के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए. प्रत्येक प्रथा के लिए एसओएफ़ अलग-अलग तय किया जाना चाहिए.

3.4.3. बीज उत्पादकों द्वारा बीजों के व्यावसायिक उत्पादन, निर्यातोन्मुखी बागवानी/ पुष्पकृषि, टिश्यू कल्चर पौधे आदि के लिए पृथक वित्त मान तय करने की आवश्यकता है.

3.4.4. बागवानी फसलों, पशुपालन गतिविधियों और मत्स्यपालन गतिविधियों, शहतूत/ लाख/ मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन आदि सहित सभी फसलों के लिए एसओएफ़ तय किया जा सकता है.

3.4.5. "कम मात्रा उच्च मूल्य" वाली फसलों जैसे फूल, सुगंधित/ औषधीय फसलें, मसाले आदि के लिए अलग-अलग एसओएफ़ तय किया जा सकता है, जो जिले में प्रचलित कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फसल व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा.

3.4.6. चाय उत्पादक राज्यों द्वारा छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) के लिए भी एसओएफ़ तय किया जाए.

3.5. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति हेतु अनुशंसा

3.5.1. डीएलटीसी द्वारा प्रमुख फसलों के लिए वित्त मान और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण इंगित किया जाए और अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने और एन्श्योर (ENSURE) पोर्टल के माध्यम से अंगीकृत करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को भेज जाए.

4. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC)

4.1. संघटन

4.1.1. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) का गठन कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी)/ सचिव (कृषि) द्वारा किया जाएगा और राज्य सहकारी बैंक इसके संयोजक होंगे और यह समिति अब तक की तरह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के साथ मिलकर कार्य करेगी.

4.1.2. राज्य के एपीसी/ सचिव (कृषि) समिति के अध्यक्ष होंगे और उनकी अनुपस्थिति में कृषि निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

4.1.3. राज्य कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग, राज्य सहकारिता विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसएलबीसी संयोजक, राज्य में मौजूद प्रमुख वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के अधिकारी इसके सदस्य होंगे.

4.1.4. राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों, मत्स्यपालन विश्वविद्यालयों और आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों जैसे तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए नियमित सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जायेंगे.

4.2. प्रक्रिया

4.2.1. डीएलटीसी द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों को समिति के विचारार्थ रखा जाएगा.

4.2.2. राज्य कृषि विभाग मधुमक्खी पालन, शहतूत, लाख, मशरूम आदि (जहाँ भी उगाई जाती हों) सहित क्षेत्रीय फसलों के प्रस्तावों की समीक्षा करेगा. बागवानी विभाग फलों, सब्जियों, मसालों, पुष्प फसलों, औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए एसओएफ़ की समीक्षा करेगा.

4.2.3. चाय उत्पादक राज्यों द्वारा छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) के लिए एसओएफ़ निर्धारित किया जाए.

4.2.4. पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यशील पूँजी सीमा के प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और उन्हें समिति के समक्ष रखेंगे.

4.2.5. यदि आवश्यक समझा जाए, तो ये विभाग राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदि जैसे तकनीकी संस्थानों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

4.3. वित्तमान का निर्धारण

4.3.1. जैसे-जैसे हम जन समर्थ, ई-केसीसी आदि के माध्यम से ऋण आवेदनों की डिजिटल प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं, एसओएफ़ को सीमा के बजाय एकल राशि के रूप में निर्धारित करना होगा. इससे प्रणाली को क्षेत्र, खेती की विधि आदि को ध्यान में रखते हुए किसान के लिए पात्र ऋण राशि की गणना करने में सहायता मिलेगी.

4.3.2. समिति राज्य का अवलोकन करेगी और विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों, सिंचित/ असिंचित क्षेत्रों, और जिलों में प्रचलित फसल पद्धति में स्थानीय विविधताओं और बारीकियों पर विचार करते हुए खेती की विधियों को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी वित्त मान तय करेगी. चूँकि पारंपरिक खेती की विधियों का उपयोग करने वाले किसान और आधुनिक खेती की विधियों का उपयोग करने वाले प्रगतिशील किसान की खेती की लागत अलग-अलग होती है, अतः यह वांछनीय है कि राज्य/ जिले में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक खेती की विधि के लिए अलग-अलग एसओएफ़ तय किया जाए.

4.3.3. तथापि बैंकों को विभिन्न प्रचलित कारकों को ध्यान में रखते हुए एसओएफ़ के +/- 10% तक वित्तपोषण करने की सुविधा होगी.

4.3.4. जैसा कि अब तक होता आया है, संबद्ध गतिविधियों के कार्यशील पूँजी ऋण के लिए वित्त मान राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इकाई आकार, जैसे कि प्रति पशु/ पक्षी या निवेश की औसत इकाई आकार, के आधार पर तय किया जाना जारी रहेगा.

4.4. अधिसूचना

4.4.1. एसएलटीसी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्रों के लिए फसल ऋणों और कार्यशील पूँजी ऋणों के लिए वित्त मान अधिसूचित करेगा.

4.4.2. एसओएफ़ अधिसूचना में जिला, कृषि जलवायु क्षेत्र, फसल/ गतिविधि का प्रकार, मौसम, जिन परिस्थितियों में इसे उगाया जाता है आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए.

4.4.3. सभी कार्यरत बैंकों और हितधारकों को सूचित करके जमीनी स्तर पर सूचना का प्रसार सुनिश्चित किया जाए.

4.4.4. व्यापक प्रसार के लिए इसे एसएलबीसी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एससीबी और आरआरबी की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए.

5. वित्त मान के निर्धारण की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

5.1. भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर अब सभी हितधारकों, जैसे किसानों, बैंकों आदि के लिए कृषि संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करना सुगम बनाने हेतु एग्री-स्टैक की स्थापना कर रही है. एसओएफ़ भी एग्री-स्टैक का एक भाग है.

5.2. एक डिजिटल एसओएफ़ रजिस्ट्री बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एकत्रित जानकारी एकसमान हो. नाबार्ड ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की फसल रजिस्ट्री के अनुरूप एसओएफ़ डेटा एकत्र करने के लिए डिजिटल प्रारूप तैयार किया है.

5.3. ये विवरण डीएलटीसी और एसएलटीसी द्वारा एन्श्योर 2.0 प्लेटफ़ॉर्म (एक डिजिटल इंटरफ़ेस जिस पर बैंकों द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी विवरण जमा किए जाते हैं) पर भरे/ अपलोड किए जाएँगे.

5.4. डीएलटीसी और एसएलटीसी बैठकों के संयोजक {जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)/ कृषि विभाग (दो स्तरीय सहकारी संरचना वाले राज्यों में) और राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), कृषि विभाग} अपनी मौजूदा एन्श्योर आईडी के साथ https://ensure.nabard.org पर इन विवरणों के प्रारूपों को देख सकते हैं.

5.5. संलग्न प्रारूपों का उद्देश्य पशुपालन, मत्स्यपालन आदि के लिए फसलों और कार्यशील पूँजी हेतु एसओएफ़ के निर्धारण से संबंधित डेटा एकत्र करना है.

5.6. डीएलटीसी/ एसएलटीसी संयोजक निर्दिष्ट एसओएफ़ विवरण सीधे एन्श्योर 2.0 में प्रस्तुत करेंगे.

5.7. डीएलटीसी संयोजक द्वारा डेटा भरा जाना चाहिए, ताकि एसएलटीसी संयोजक एन्श्योर पोर्टल से एसएलटीसी के लिए डेटा को डिजिटल रूप से संकलित कर सकें.

5.8. भरे जाने वाले प्रारूपों का विवरण संलग्न अनुबंधों में दिया गया है.

6. समयसीमा

6.1. डीएलटीसी और एसएलटीसी की वार्षिक बैठकें वर्ष के लिए एसओएफ़ को अंतिम रूप देने के लिए होंगी. तथापि आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में और भी बैठकें हो सकती हैं.

6.2. प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा नीचे दी गई है और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि फसल सत्र शुरू होने से पहले नया एसओएफ़ तैयार हो सके.

6.3. डीएलटीसी हेतु समयसीमा

क्रम. सं.	विवरण	डीएलटीसी
1	प्रस्ताव की माँग करने हेतु अंतिम तिथि	पिछले कैलेंडर वर्ष का 31 अक्तूबर
2	प्रस्ताव की पावती हेतु अंतिम तिथि	30 नवंबर
3	प्रस्तावों को अंतिम रूप देना	15 दिसंबर
4	जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक	31 दिसंबर
5	बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु तिथि	10 जनवरी
6	एसएलटीसी को कार्यवृत्त एन्श्योर के माध्यम से अग्रेषित करने हेतु तिथि	31 जनवरी

6.4. एसएलटीसी हेतु समयसीमा

क्रम. सं.	विवरण	एसएलटीसी
1	एन्श्योर के माध्यम से प्रस्तावों को अंतिम रूप देना	15 फरवरी
2	जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक	16 से 28 फरवरी
3	बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि	10 मार्च
4	एन्श्योर पर एसओएफ़ डेटा को अंतिम रूप देना	15 मार्च
5	फसल वर्ष के लिए वित्त मान की अधिसूचना	20 मार्च

नोट: एसओएफ़ तय करने की प्रक्रिया पिछले वर्ष के फसल वर्ष के लिए डीएलटीसी में शुरू होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है और यह खरीफ मौसम शुरू होने से काफी पहले, 20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ समाप्त हो जाएगी.

7. उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुबंध

7.1. एन्श्योर 2.0 में भरे जाने वाले उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुबंध संयोजकों की जानकारी के लिए संलग्न हैं.

- अनुबंध - I और II (डीएलटीसी स्तरीय उपयोगकर्ता मैनुअल)
- अनुबंध - III और IV (एसएलटीसी स्तरीय उपयोगकर्ता मैनुअल)
- अनुबंध - V, VI VII और VIII (डीएलटीसी और एसएलटीसी दोनों द्वारा विवरण प्रस्तुत किए जाएँ)
- अनुबंध - IX (डीएलटीसी द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाना होगा. उन राज्यों में, जहाँ सभी जिलों में समान एसओएफ़ निर्धारित है, एसएलटीसी को भी वही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.)
- अनुबंध - X, XI, XII और XIII (एसएलटीसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण जहाँ जिला-वार एसओएफ़ निर्धारित है)
- अनुबंध - XIV (एसएलटीसी और डीएलटीसी दोनों के लिए जाँच-सूची)